भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4772
उत्तर देने की तारीख: 23.03.2020

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का क्रियान्वयन

†4772. श्री पिनाकी मिश्राः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम , 2009 के खण्ड 12(1)(ग) जिसमें यह गारन्टी दी गई है कि निजी विद्यालय कमजोर वर्गों और वंचित समुदायों से संबंधित 25 प्रतिशत बच्चों को प्रवेश देंगे और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेंगे, के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में बच्चों को कितनी सीटें दी गई है;

(ख) रिक्त पड़ी सीटों, यदि कोई हों, की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी सीटें भरी जाएं, क्या कदम उठाए गए है/उठाए जाने प्रस्तावित है?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (ग): नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009, में समुचित सरकार को यह अधिदेश दिया गया है कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक को पास के स्कूल में नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (ग) में धारा 2 के खंड (ढ) के उप-खंड (iii) और (iv) में विनिर्दिष्ट कमजोर और लाभवंचित समूहों के बच्चों के लिए कक्षा 1 (या उससे कम) में उस कक्षा की संख्या के कम से कम 25 प्रतिशत तक दाखिले का प्रावधान किया गया है।

आरटीई अधिनियम की धारा 12 (1) (ग) के कार्यान्वयन के लिए, संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकार, जो आरटीई अधिनियम के अंतर्गत समुचित सरकार है, से अपेक्षित है कि वे लाभवंचित समूहों और कमजोर वर्गों को अधिसूचित करें, प्रति बालक लागत अधिसूचित करें और निर्धारित प्रक्रिया-विधि के अनुसार निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में दाखिला शुरू करें।

केंद्र सरकार, वर्ष 2014-15 से धारा 12 (1)(ग) के अंतर्गत बच्चों के दाखिले के लिए निजी स्कूलों को किए जा रहे भुगतान हेतु किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता कर रही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) ने दिनांक 25.05.2016 के पत्र संख्या 12-5/2016-ईई.11 और दिनांक 13.11.2018 के अ.शा. पत्र संख्या12-12/2018- आईएस-5 के

माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया है कि वे देश भर में स्थित निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों का बुनियादी मूल्यांकन करें जिससे आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राज्य शिक्षा सचिव सम्मेलन, क्षेत्रीय/राज्य कार्यशालाओं,परियोजना अनुमोदन बोर्ड की बैठक, जैसी विभिन्न बैठकों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12 के कार्यान्वयन पर सलाह/मार्गदर्शन दे रहा है।

****